

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला— नरसिंहपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की क्रियान्वयन

—0—

1. मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन मानव उपभोग हेतु मदिरा की आपूर्ति कर उससे अधिकाधिक राजस्व प्राप्त करने एवं उसके अवैध विनिर्माण पर रोक लगाने तथा मनोरंजन के साधनों (सिनेमा, वीडियो, केबल नेटवर्क) से राजस्व प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग कार्यरत है ।
2. मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कार्य करने के अधिकार प्राप्त है ।
3. मध्यप्रदेश शासन के नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप अधिकारियों को निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त है ।
4. मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप कर्तव्यों के निर्वहन हेतु मापदण्ड तय किये गये हैं ।
5. मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुरूप कर्तव्यों के निर्वहन हेतु विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्य किया जाता है ।
6. मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त प्रपत्र तथा जनसाधारण से प्राप्त प्रपत्र को नियमानुसार नस्ती में संधारित कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।
7. सभी प्राप्त प्रपत्रों पर नियमानुसार निश्चित समायवधि में कार्यवाही की जाती है ।
8. शासन द्वारा मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु समिति गठित कर निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाती है ।

9. **जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों की दूरभाष सूची :-**

क्र.	पदनाम एवं संख्या	कार्यालय	निवास
1	जिला आबकारी अधिकारी -1	230691	230481
2.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी -1	230691	—
3.	आबकारी उप निरीक्षक वृत्त—नरसिंहपुर	234847	—
4.	आबकारी उप निरीक्षक वृत्त—करेली	234847	—
5.	आबकारी उप निरीक्षक वृत्त—गोटेगांव	234847	—
6.	आबकारी उप निरीक्षक वृत्त—गाड़रवारा	254098	—
7.	मद्य भाण्डागार अधिकारी—नरसिंहपुर	234729	—
8.	मद्य भाण्डागार अधिकारी—गाड़रवारा	254098	—
9.	समस्त सहायक ग्रेड 2 एवं 3	230691	—

10. शासन के द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन प्राप्त हो रहा है ।
11. शासन द्वारा प्रदत्त बजट अनुसार व्यय किया जाता है ।
12. सभी अनुदान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शासन द्वारा किया जाता है ।
13. नरसिंहपुर जिले में विभाग को निम्नानुसार अधिकार पत्र/NOC जारी करने के अधिकार है :-

क्र. अधिकार-पत्र/N.O.C

1. फार्म No.F.L.12 A :- विदेशी मदिरा के भाण्डागार से मदिरा की दुकानों तक परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
2. देशी मदिरा परिवहन पुस्तिका मद्य भाण्डागार से मदिरा दुकानों तक परिवहन हेतु परिवहन पास बुक
3. प्रारूप पी.एस.-5 अ पापीस्ट्रा के परिवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र
14. शासन के नियमों के अनुरूप प्रपत्र बनाया गया है ।
15. शासन के नियमों के अनुरूप जन साधारण को सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ।
16. जन सम्पर्क हेतु आबकारी आयुक्त, ग्वालियर के पत्र क्रमांक /1(अ.रा)स्था /05/1735दिनांक 21.09.05 द्वारा जिले में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी /सहायक जिला आबकारी अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता को नियुक्त किया गया है ।
17. विभाग शासन द्वारा समय -समय पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है ।

जिला आबकारी अधिकारी
जिला - नरसिंहपुर